मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021

विज्ञापन क्रमांक 18/2021/ 30.12.2021

आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 01.03.2022

महत्वपूर्ण

1- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन हेतु **यूनानी चिकित्सा अधिकारी** के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-

शैक्षणिक अर्हता **(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविदयालय से यूनानी चिकित्सा पद्धति में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि,**

(ख) म.प्र. राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक/ यूनानी बोर्ड में पंजीयन

टीप:- स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाला आवेदक भी आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित अर्हता (इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र सहित) अर्जित करने का सबूत देना होगा।

अन्य अर्हता **रोजगार पंजीयन** - अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

2- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 01.03.2022 (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** पर भरे जा सकते हैं ।
आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें। ऑनलाइन आवेदनपत्रों में दिनांक 05.02.2022 से दिनांक 03.03.2022 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

3- इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं संविदा चिकित्सकों को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि को यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

4- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **e-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर **e-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा इसे अंतिम चयन परिणाम आने तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

5- **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**

6- **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**

7- **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों को संधारित नहीं किया जाता है । साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतिक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभाग को प्रेषित कर दिया जाता है जिनके सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को विभाग को अंतरित किया जाएगा।**

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन**, के अंतर्गत **यूनानी चिकित्सा अधिकारी** के निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

पद का नाम :- यूनानी चिकित्सा अधिकारी विभाग का नाम :- आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन														
कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूलनिवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल
UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD	
09	04	06	07	02	03	01	02	02	01	00	01	01	00	28
UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes, EWS – Economically Weaker Section, OH -Orthopedic Handicapped, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability														

दो **पद का विवरण**

(A) **पद का नाम** : **यूनानी चिकित्सा अधिकारी**

(B) **श्रेणी** : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(C) **पद स्थिति** : अस्थायी

(D) **वेतनमान** : रुपये **15600-39100+5400** ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

नोट- उपरोक्त वेतनमान छठे वेतन आयोग अनुसार है। सातवे वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान देय होगा।

(E) **अर्हता** :

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता (क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा पद्धति में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि,

अन्य अर्हता (ख) म.प्र. राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक/ यूनानी बोर्ड में स्थायी पंजीयन

टीप:- स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाला आवेदक भी आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित अर्हता (इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र सहित) अर्जित करने का सबूत देना होगा।

टीप: अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा लिखित परीक्षा परिणाम में निर्धारित अभिलेख प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि तक अपनी अर्हता (इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र सहित) तथा आयुर्वेदिक/ यूनानी बोर्ड में स्थायी पंजीयन के प्रमाण-पत्र अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त मानी जाएगी।

रोजगार पंजीयन - अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

(F) **कर्तव्य** : चिकित्सा कार्य करना।

तीन आयु सीमा: **21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**

आयु संगणना तिथि 01.01.2022

चार (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(iv) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट -2 देखें।

पाँच **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

छः **संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों हेतु विशेष उपबंध :-**

आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-02-01-2018-1-उनसठ, दिनांक 10 दिसंबर 2021 द्वारा "मध्य प्रदेश आयुष विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013" में किए गए संशोधन के अनुपालन में-

01 **संविदा कर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट:-**

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 5-2-2018-1-3, भोपाल दिनांक 05 जून, 2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुक्रम में मध्य प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./औषधालय/ किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक के पद पर न्यूनतम पाँच वर्ष कार्यरत रहा है - ऐसे वर्तमान में कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को आयुष चिकित्सक पद के समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर, वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट मिलेगी। इस छूट सहित अधिकतम आयु विज्ञापन में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

02 **संविदा कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान:-**

मध्य प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./औषधालय/ किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक के पद पर कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को अनुभव के आधार पर आयोग द्वारा उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के अंतिम निर्धारित पूर्णांक के 03 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 05 वर्ष हेतु अधिकतम 15 प्रतिशत बोनस अंक दिए जाएंगे किन्तु लिखित परीक्षा के श्रेणीवार न्यूनतम उत्तीर्णांक हेतु उक्त बोनस अंक संगणित नहीं किए जाएंगे।

- बोनस अंक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बोनस अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- अंतिम चयन-सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों, बोनस अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित की जाएगी।

अत्यावश्यक:- उपरोक्त बिन्दु- 01 तथा 02 के लाभों हेतु अभ्यर्थियों को परिशिष्ट-1 में प्रकाशित प्रपत्र-1 तथा प्रपत्र-2 में अनुभव तथा संगणना के प्रमाण-पत्र आवेदन करने के पूर्व प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भी तत्संबंधी प्रविष्टि करना अनिवार्य होंगी।

सात **महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।**

आठ अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :-

इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा संविदा चिकित्सकों को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं संविदा चिकित्सकों को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबन्धित समस्त जानकारियां, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि आदि यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -3 का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **e-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर **e-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा उसे अंतिम चयन परिणाम तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

बारह विज्ञापन के प्रकाशन में हुई किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि में सुधार का आयोग का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

तेरह अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देंखें :-

(i) संविदा यूनानी चिकित्सक हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र तथा संगणना के प्रारूप परिशिष्ट -1
(ii) आयु सीमा की छूट परिशिष्ट -2
(iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियाँ परिशिष्ट -3
(iv) आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश परिशिष्ट-4

सचिव

परिशिष्ट -1

संविदा आयुष चिकित्सकों के अनुभव प्रमाण-पत्र तथा संगणना पत्रक के प्रारूप

प्रपत्र -1

कार्यालय जिला आयुष अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ....

जिला .... संभाग.......................

पता...दूरभाष..................ईमेल.............................

पत्र क्रमांक.................................. स्थान .... दिनांक ....

अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप

(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी यूनानी चिकित्सा अधिकारी की सीधी भर्ती हेतु मान्य)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....(चिकित्सक का नाम) पिता/पति श्री.. ने आयुष विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ आयुषविंग /......................कार्यालय में संविदा यूनानी चिकित्सा अधिकारी के रूप में निम्नानुसार अवधि में चिकित्सकीय कार्य संपन्न किया :-

क्र.	संस्था का नाम	दिनांक		कुल अवधि .....वर्ष ......माह	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	Employee ID
		से	तक			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
			कुल अवधि			

टीपः- यह अनुभव प्रमाण-पत्र वेतन देयक एवं अन्य संबंधित कार्यालयीन अभिलेखों के सत्यापन उपरान्त जारी किया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

(हस्ताक्षर)

नाम ....

पदनाम: जिला आयुष अधिकारी/

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.

पदमुद्रा ....

संविदा यूनानी चिकित्सा अधिकारी के कार्य अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक

(आवेदक द्वारा प्रपत्र-2 की पूर्ति की जाकर पत्रक स्वप्रमाणित किया जावेगा)

अधिभार की गणना की तालिका

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... (चिकित्सक का नाम) पिता/पति श्री.. प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा आयुष विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/...................... विभाग में संविदा यूनानी चिकित्सा अधिकारी के रूप में निम्नानुसार अवधि में चिकित्सकीय कार्य संपन्न किया है:-

क्र	संस्था का नाम	अवधि		कुल अवधि ....वर्ष .... माह	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	अनुभव के अंक %	Employee ID
		से	तक				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
			कुल अवधि		कुल अंक का प्रतिशत		

1. उपरोक्त अनुभव के आधार पर मुझे कुल................ प्रतिशत वरीयता अंक की पात्रता आती है।
2. एवं उपरोक्त अनुभव के आधार पर मुझे आयु सीमा में कुल.......वर्ष छूट की पात्रता आती है।

स्व प्रमाणीकरण/सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ....पिता/पति श्री .... प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इस गणना पत्रक के चरण क्रमांक एक से तीन तक जानकारी कार्यालयीन अभिलेखों एवं मेरे निजी ज्ञान अनुसार सही है।

सत्यापन आज दिनांक........................को स्थान ....में सत्यापित किया गया।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम....................

अभिप्रमाणीकरण

(जिला आयुष अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जावेगा)

अनुभव के कुल प्रतिशत अंक	
आयु सीमा में छूट	
जॉचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	
नाम ,पदनाम एवं पदमुद्रा	

जिला आयुष अधिकारी / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर	
नाम ,पदनाम एवं पदमुद्रा	

टीपः- म.प्र. असाधारण दिनांक 10 दिसंबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-02-01-2018-1-उनसठ के प्रावधान अनुसार आयु सीमा में छूट एवं अधिभार अंक की गणना की जाएगी।

परिशिष्ट -2

(एक) **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

(1) **मध्य प्रदेश शासन**, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारीयों/नगर सैनिक/ महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी** ।

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाडियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(तीन) **संविदा कर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट:-**

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 5-2-2018-1-3, भोपाल दिनांक 05 जून, 2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुक्रम में मध्य प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./औषधालय/ किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक के पद पर न्यूनतम पाँच वर्ष कार्यरत रहा है - ऐसे वर्तमान में कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को आयुष चिकित्सक पद के समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर , वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट मिलेगी। इस छूट सहित अधिकतम आयु विज्ञापन में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 (एक) (1 से 2) (दो) (1 से 2) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी । अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। **(केवल संविदा चिकित्सकों को उपरोक्त बिन्दु-तीन के अनुसार देय छूट को छोड़कर)**

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- **यूनानी चिकित्सा अधिकारी** के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.nic.in वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे।

2- अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

3- अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों के पास एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। उम्मीदवार को प्रोफाइल में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरना चाहिए और इसे सेव करना चाहिए ।

4- अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

5- सभी उम्मीदवारों को नवीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की छवियों को अपलोड करना आवश्यक है इस हेतु फोटोग्राफ का न्यूनतम आकार 20 KB एवं हस्ताक्षर का न्यूनतम आकार-10 KB होना चाहिए ।

6- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop-up window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटिं परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा, जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

7- सिस्टम द्वारा केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे|

8- त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 05.02.2022 से 03.03.2022 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क ₹ 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु ₹ 250 निर्धारित है। अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि ₹ 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा ।

9- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज किए हस्ताक्षर ही, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2 परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-
सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. 40/- (GST अतिरिक्त) देय होगा। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन :- 0755-6720200 केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा ।	

3 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 01.03.2022 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4 **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन फार्म, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियाँ।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

संविदा चिकित्सक के रूप में अनुभव तथा संगणना प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र **परिशिष्ट-1** में दर्शाये गए प्रारूप में होना चाहिए तथा प्रारूप में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत हैं द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएँ विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है। अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ------------ के विज्ञापन क्रमांक 18/2021, दिनांक 30.12.2021 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मै निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मै -----------------पिता श्री------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/-------------जिला ------------,मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूं । मै ---------------जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा मध्य प्रदेश हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है ।

2. मै यह भी घोषित करता/करती हूं कि मै शासन के नवीनतम परिपत्रों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूं।

हस्ताक्षर------------

नाम----------------

रोल नंबर -----------

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले अनुप्रमाणन-पत्र के साथ संलग्न करें)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु :- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5 जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हों, उनको यह अभिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

6 अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए जिसके लिए वह उम्मीदवार है, अनर्ह ठहरा सकेगा

और/ या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- अनर्हताऐं:- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

01 परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमे प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता

स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक् से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9- **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(अ) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों को ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के प्रमाणन हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के **IFSC Code** का उल्लेख करना एवं साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की पठनीय स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण में कोई त्रुटि/विसंगति होने के कारण भुगतान निरस्त होने की दशा में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(इ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट-चार

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप - ओ.एम.आर.शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः ओ.एम.आर.शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।

1 आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल पाईन्ट पेन अवश्य लाए।

2 गोले भरने के लिए केवल काला बाल पाईन्ट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।

3 ओ.एम.आर.शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें ।

4 ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।

5 उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई है। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

6 आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (✗) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जायेगी।

7 **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिये - सामान्य निर्देश -**

(अ) प्रश्नों के उत्तरः ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए है। इन्हें ध्यान से पढ़े। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने है। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए है। इनमें से, सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें।

OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/ मिटाने/ वाईटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिये बने खानों में प्रविष्टि के लिये काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A,B,C,D set में से कोई एक ही सेट दिया जायेगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिये काला बाल पाईन्ट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित 'प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (**ABCD** के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जायेगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गये सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वंय जिम्मेदार होगा ।

8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ है। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवा स्तम्भ दहाई का एवं छटा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले है। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाईन में चौकोर खानों में दर्शाये अनुसार रोल नम्बर काला बाल पाईन्ट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल पाईन्ट से गहरा काला करें।

रोल नं. चित्र 1

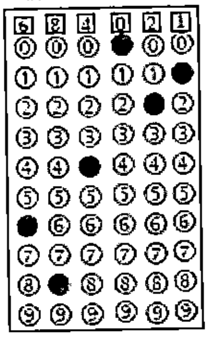

अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर **OMR** का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जायेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।

04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल पाईन्ट पेन, प्रवेश पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आऐं । इसके अतिरिक्त मोबाईल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।

03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किये जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा ।

04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा (केवल बिन्दु दस मे प्रावधानित छूट को छोडकर) ।
निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - नाम और अनुक्रमांक

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखे। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और ना ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिये गये A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट- B को काला किया है।

चित्र- चार

A	○
B	●
C	○
D	○

चार - अनुचित साधन

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज Electronic Gadget इत्यादि जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो, न हों। परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग से बचें।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनो का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जायेगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर.शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जायेगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिये जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किये जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

<u>परीक्षा की गोपनीयता :- **परीक्षा पूर्व / दौरान / पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाये जाने वाले अभ्यर्थीयों / व्यक्तियों के विरुद्ध** आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।</u>

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपये प्रति प्रश्न तथा रूपये 40 प्रति त्रुटि सुधार सत्र पोर्टल चार्ज) जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराये । परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जायेगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा । जिन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति, विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा सही पाई जाऐगी उस प्रश्न हेतु दिया गया आपत्ति शुल्क आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को ऑनलाईन पद्धति से वापस किया जाएगा। इस हेतु आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को आपत्ति मॉडयुल में उसके बैंक खाते की जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

छः - ओ.एम.आर.शीट का लौटाना -

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगें। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जायेगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाऐगी।

सात - ओ.एम.आर.शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

1 ओ.एम.आर.शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरे। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें।

2 ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - **प्रश्नपत्र पर अंकन**

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिये गये पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - **उपस्थिति पत्रक**

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस- **दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम**

अ. **अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-**

1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।

2 मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4 आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

5 उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोडकर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. **प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :-**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तो के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जावेगा।

(i) **लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-**

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिये जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिये। उदाहरण के लिये यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है, तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) **प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-**

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

स. **इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-**

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीपः- 1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिये जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हे सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलो को छोड़कर अन्य मामलो में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाऐं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

ग्यारह **विविध**

1 परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टॅन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जायेगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टॅन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाऐंगे।

2 परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजीटल डायरी, वॉच, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित है।

बारह - परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़े व अनिवार्यता से उनका पालन करें।

तेरह - **अनुशासन व शालीनता**

1 परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना / अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।

2 परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

3 परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।

4 यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा।उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिये गये है कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किये जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।